# CT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB SEC. (i)



Appearing on Page Nos. 2304-2318 Dated 4-11-95

ग्रखिल भारतीय तकेनीकी शिक्षा परिषद्

## ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

नई दिल्ली, 12 ग्रवतूबर, 1995

#### अधिस्चना

सा का.नि. 468.—-ग्रखिल मारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ग्रधिनियम, 1987(1987 की संख्या 52) की घारा 8 को उपधाराम्रों (1) स्रीर (2) केसाय पढ़ी जानेवाली घारा 23की उपधाराम्रों (1) स्रीर (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतदहारा निम्नलिखित विनियम बनाती है:—

- া. मंक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारंभः---(1) इन विनियमों को ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वित्तीय सलाहकार भौर मम्ह "क" तकनोकी पद) भर्ती विनियम, 1995 कहा जाये।
  - (2) मरकारी राजपत्रमें प्रकाशन की तिथि से येलागू होंगे।
  - 2 परिभाषा:-इन नियमों में परिषद् का गर्य है ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्।
- संख्या, वर्गीकरण ग्रौर वेतनमान:—कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण ग्रौर वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न ग्रनुसूची केस्तम 2 से 4 में उल्लिखित है
- 4. भर्ती की पद्धति ग्रौर ग्रन्य मामले:—कियत पदों की भर्ती पद्धति, ग्रायु सीमा, ग्रहंताएं गौर इनसे संबंधित मामले प्रनुसूची केस्तंभ 5 से 14 में उल्लिखित हैं।
  - 5. ग्रयोग्यता:--कोई भी व्यक्ति,--
  - (क) जिसने किसी विवाहिती से विवाह किया है या विवाह का प्रनुबंध किया है, या
- (ख) जिसने ग्रपने विदाहिती के जीवित रहते दूसरा विदाह किया है या विवाह का ग्रनुबंध किया है, कथित पटों पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यदि परिषद् इस बात से संतृष्ट है कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्ति तया दूसरी पार्टी के स्वीय विधि के भ्रन्तर्गत गैर-कानूनी नहीं है भ्रौर इन विनियमों के भ्रन्तर्गत छूट के भ्रन्य कारण भी हैं तो किर नियुक्ति की पाझता को माना जा सकता है।

- 6. छूट का ग्रधिकार:—जहां परिषद् इस मत की है कि ऐसा करना ग्रावश्यक श्रौर उपयुक्त है तो तब वह लिखित कारणों के ग्राघार पर तया कार्यकारिणी समिति केपरामर्ण से इन्हीं विनियमों के किन्हीं उपदेशों में किसी भी वर्ग या श्रेणी में छ्ट प्रदान कर सकती है।
- 7. ब्यावृत्तिः—परिषद् द्वारा समय-समय पर ग्रनुसूचित जातियों, ग्रनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों ग्रीर ग्रन्य श्रेणियों के लिये जारी किये गये भ्रारक्षण, मायुसीमा में छूट श्रौर भ्रन्य रियायतों संबंधी भ्रादेश इन∤ विनियमों को प्रभावित नहीं करेंगे। अनसूची

HING TO THE		अनुसूची		
क्र.सं पदकानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या गैर-चयन पद है
	2	3	4	5
1 1. दित्तीय सलाहकार	*1(1995) *कार्यमार को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह ''क'' राजपितत गैर-लिपिकीय	5900-200-6700	नागू नहीं
सोबी भर्ती के लिये प्रधिकतन ग्राप् सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के ग्रधीन सेवा जोड़ का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक ग्रीर ग्रन्य ग्रहेताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित स्रायु स्रौर शैक्षिक स्रहंताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर लागू होंगी	यदि कोई हो
	7	8	9	10
6 नागृ नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं ——————
		1		

भर्ती पद्धति क्या सीघी भर्ती द्वारा या पदोननति द्वारा या प्रति-निय क्ति/स्थानान्तरण द्वारा श्रौर विभिन्न पद्धतियों से भरने के लिए रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्प्रानान्तरण द्वारा भर्ती हेतु पदोन्नति/प्रतिनिय्नित/ स्थानान्तरण संबंधी ग्रेड

चयन समिति का गठन

भर्ती संबंधी वे परि-स्यितियां जब संघ लोक सेवा स्रायोग के परामर्ग की जरूरत पड़े

11

12

13

14

प्रतिनियुक्ति पर स्यानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्यानान्तरण :

वे व्यक्ति जो ग्रखिल भारतीय सेवाओं या संगठित समृह "क" केन्द्रीय सेवाग्री में नियमित ग्राधार पर समकक्ष पद रखते हों या 3700-5000 में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले या सेवा सहित किसी ग्रप्रचलित 4500-5700 वेतनमान के व्यक्ति जो वार्षिक बजट, लेखान्त्रों म्रादि के तैयार करने के साथ वित्तीय मामलों के निपटान का अनुभव

म्राट्: प्रावेदनपत्नों की प्राप्ति की घंतिम तिबि पर 55 दर्व से ज्यादा न हो ।

चप्रन समितियों का गठन निम्न प्रकार होगा:

- 1. परिषद के ग्रध्यक्ष--ग्रध्यक्ष
- 2. परिषद के उपाध्यक्ष---सदस्य
- 3. शिक्षा सचिव \* \* -- सदस्य
- 4. व्यय सचिव\*\*—सदस्य
- 5-6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (†) --- सदस्य
- 7-8. दो विशेषज्ञ (+†)---मदस्य
- परिपद के ग्रवस्य सचिव—नदस्य-
- \*\*या इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के ग्रपर सचिव पद से कम न हों।

रिग्रय्यक्ष द्वारा नामित । (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिपद् मधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में ने मदस्य जिन्हें ग्रध्यक्ष नामित करेंने।

टिप्पणी : प्रतिनिय्वित की धवि जितमें इस प्रतिनियुक्ति से पहले की बाह्य संवर्ग पद की निय्कित की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः 5 वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी

5 3 2 नागू नहीं समृह "क" राजपवित 5900-200-6700 \*4(1995) 2. सलाहकार-1 \*कार्यभार की माला गैर-लिपिकीय को देखते हए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 10 9 6 लाग् नहीं लागु नहीं लागू नहीं लागू नहीं लाग् नहीं 13 14 11 प्रतिनियुन्ति या संविदा पर स्थानांतरण : 1. परिषद के अध्यक्ष-ग्रध्यक्ष लागू नहीं प्रतिनियुवित पर स्थानान्तरण/ परिषद के उपाध्यक्ष—सदस्य

खले जिलापन द्वारा संविदा और नामांकनों का ग्रामंबित करना (प्रतिनिण्यित/संविदा की अवधि एक समय में 3 वर्ष होगी)

विख्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थामां, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाय्रों स्रौर सार्वजितक निकाय उपक्रमों में समकल ग्रेडों में या 5100-7300/4500-7300/

- शिक्षा सचिव<sup>कके</sup>—सदस्य
- 4. व्यय सचिव<sup>कक</sup>--सदस्य
- 5-6. कार्यकारिणी समिति के दो

5100-6300/5100-5700/4500-5700 ग्रेंड में या समान ग्रेंड में दो वर्ष की नियमित सेया वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित अहेताएं ग्रीर प्रमुख रखते हैं:---

1. यहंताए--

विज्ञान/गणित/कप्पटर अनुप्रयोग/ वाणिज्य और शर्यशास्त्र समेत प्रवंध विज्ञान/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला/इंजी-नियरी और शौद्योगिकी/वास्तुकला और नगर योजना में मास्टर डिग्री और

2. ग्रन्भव——
केन्द्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/
ग्रन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाग्रों,
स्वायत्त निकायों ग्रीर सार्वजनिक
निकाय उपक्रमों में शिक्षण/प्रनुसंयान, शैक्षिक योजना/प्रशासन,
प्रशिक्षण ग्रादि में 10 वर्ष का
ग्रन्भव ।

वे व्यक्ति जिनके पास डाक्टोरल डिग्नी ग्रार/श्रथवा प्रकाशित श्रनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है, उन्हें श्रधिमान दिया जायेगा। टिप्पण 1: वे व्यक्ति जो प्राइवेट

टिप्पण 1: वे व्यक्ति जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं श्रीर उपर्युक्त ब्रह्नंताएं श्रीर ब्रनुभव पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के ब्राघार पर नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा। टिप्पण 2: वे व्यक्ति जो नियमित सेवा

टिप्पण 2: वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं में अविध और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उपर्युक्त अहंताएं एवं अनुभव रखते हैं; उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

ग्रायु: ग्रावेदनपत्रों को प्राप्ति को ग्रंतिम तिथि पर 55 वर्ष से ज्यादा

ग्रायुन हो।

टिप्पणी: सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर ग्रवसर पर पद के लिये उपयुक्त विशेष ग्रहेंताएं निश्चित कर सकेंगे। सदस्य (†)—सदस्य 7-8. दो विशेषज्ञ (‡)—सदस्य 9. परिषद के सदस्य-सचिव—सदस्य \*\*या इनके नानित ब्यक्ति जो भारत सरकार के भ्रषर सचिव पद से कम न हों

‡स्रध्यक्ष द्वारा नामित श्रिविल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिपद स्रिवितयम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में से सदस्य जिन्हें सध्यक्ष नामित करेंगे।

3

3. सलाहकार-II

\*3(1995) समूह "क" राजपित्रत "कार्यभार की मात्रा को देखते गैर-लिपिकीय

5100-150-5700-200- लागू नहीं 6300

हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। प्रतिनियुन्ति पर स्थानान्तरण/ खुले विज्ञापन द्वारा संविदा और नामांकनों का स्थामंत्रित करना (प्रतिनियुन्ति/संविदा की स्रविध एक समय में 3 वर्ष होगी)

प्रतिनिय्क्ति या संविदा पर स्यानांतरण : विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्यात्रों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थात्रों स्रौर सार्वजितिक निकाय उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में या 5100-5700/4500-5700/ 4500-7300 ग्रेडो में या 3700-5700/3700-5000 ग्रेड में या समान ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित ग्रहंताएं श्रौर श्रनुभव रखते हैं:— 1. ग्रहंताएं---विज्ञान/गणित/कंप्यूटर अनुप्रयोग/ वाणिज्य श्रीर ग्रयंशास्त्र समेत प्रयंध विज्ञान/भेषजी/ग्रनुप्रयुक्त कला/इंजी-नियरी श्रौर प्रौद्योगिकी/वास्त्कला भीर नगर योजना में मास्टर डिग्री भीर

2. ग्रनुभव--केन्द्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/ ग्रन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाग्रों, म्वायत्त निकायों श्रीर सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में शिक्षण/ग्रन्-संघान, शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण म्रादि में 10 वर्ष का मनभव। वे व्यक्ति जिनके पास डाक्टोरल डिग्री भौर/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है, उन्हें ग्रधिमान दिया जायेगा। टिप्पण 1: वे व्यक्ति जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं भीर उपर्युक्त ग्रहेताएं ग्रीर ग्रनुभव पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के ग्राधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा । टिप्पणी 2: वे व्यक्ति जो नियमित सेया में नहीं हैं लेकिन शैक्षिक/ श्रनुसंधान संस्थायों में प्रवधि ग्रीर संविदा के प्राधार पर कार्यरत हैं तया उपयुक्त महैताएं एवं मन्भव रखते हैं; उन पर भी संविदा के ग्राधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा। ग्रायु : ग्रावेदनपत्नों की प्राप्ति की ग्रंतिम तिथि पर 55 वर्ष से ज्यादा

.. भ्रायुनहो।

् नाग् नहीं

- परिषद के ग्रध्यक्ष—ग्रध्यक्ष
- 2. परिषद के उपाध्यक्ष-सदस्य
- 3. शिक्षां सचिव \* \* -- सदस्य
- 4. व्यय सचिव<sup>क्रक</sup>--सदस्य
- 5-6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (†)—सदस्य
- 7-8. दो विशेषज्ञ (††) सदस्य
- 9. परिषद् के सदस्य-सचिव-सदस्य
- \*\*या इनके नामित ब्यक्ति जो भारत सरकार के भ्रपर सचिव पद से कम न हों।

शिष्रध्यक्ष द्वारा नामित श्रिखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ग्रिधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में से सदस्य जिन्हें ग्रध्यक्ष नामित करेंगे।

		5`		
	1 2			
		ारी विज्ञापन के		
1	हर ग्रवसर पर पद के			
	हर श्रयसर पर पर विशेष श्रहेताएं तिश्वि			
	1444 Abute 1914			
1	2	3	4	5
4 निदेशनः	<b>8*</b> (1995) *कार्यभार की माखा को	समूह ''क'' राजपत्नित गैर- निपिकीय	4500-150-5700	लागू नहीं
	देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है :			
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लाग् नहीं	लागू नही	तागू नही	- लागू नही
11	1 2	1 3		1 4
	प्रतिनियुक्ति या संविदा पर स्थ	————————— ानांतरण		नाग् नहीं
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/	विश्वविद्यालयों/उच्चतर शि	ाक्षा संस्थाओं, 1 परिषद् के ग्रा	यक्ष	प्रध्यक्ष
म्बुले विज्ञापन द्वारा संविदा	ं केन्द्रीय/राज्य सकारों, स्वाय	त्त 2. परिषद् के उप	गाञ्चक्ष	—सदस्य
भौर नामांकनों का ग्रामंत्रित	संस्थाओं और सार्वजनिक नि	काय 3. शिक्षा सचिव <sup>‡</sup>	: <del>4</del> :	—सदस्य
करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा	उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में			सदस्य
की सर्वाय एक समय में 3 वर्ष	3700-5700/3700-50		ो समिति के दो सदस्य (†	)सदस्य
होयी)	में या समान ग्रेड में 🖊 वर्ष की			सदस्य ∤
,	-	नम्नलिखित 9. परिषद् के सदर		सदस्य
	बहुताएं और मनुभव रखते	हें : **या इनके नामि	त व्यक्तिजो	
	_	भारत सर्का		
	<ol> <li>पर्हताएं :</li> </ol>	सचिव पद से	कम न हों।	
	विज्ञान/गणित/कंप्यूटर ग्रनुप्र वाणिज्य और श्रर्थशास्त्र स	ायोग/ ांग्रघ्यक्ष द्वारा नाम् मित प्रबंध <b>ां</b> ग्रखिल भारतीय		
	विज्ञान/भेषजी/ग्रनुप्रयुक्त कर		भारा 12की उपधारा -	
	नियरी और प्रौद्योगिकी/वास्य मास्टर डिग्री और	तुकला में (2) के खंड ( ग्रध्यक्ष नामित	एच) से सदस्य जिन्हें करेंगे।	
2.	ग्रनुभव :	373 747 11171		
	- <mark>केन्द्रीय/राज्य सरकारों,</mark> विश्व	(विद्यालयों/		
ч.	अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थ	ाओं,		
	स्वायत्त निकायों और सार्वः			1
	निकाय उपक्रमीं में शिक्षण/ग्र	नुसंधान		
•	- श <mark>ैक्षिक यो</mark> जना/प्रशासन, प्रशि	गक्षण ग्रादि		
	में 8 वर्ष का अनुभव।			
	जिनके पास डॉक्टोरल <b>हि</b>	द्यो और/		
A to be	<b>मणवा</b> प्रकाशित ग्रनुसंधा			
	साथ तकनीकी रिपोर्टें	लिखने का.	÷	
•	4/5			

प्रमाण है, उन्हें ग्रिधमान $^\prime$ दिया जाएगा ।

टिप्पणी: 1. वे व्यक्ति जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं और उपर्युक्त ग्रहंताएं और ग्रनुभव पूर: करते हैं, उन्हें संविदा के श्राधार परनियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी 2: वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन गैक्षिक/ अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उपर्युक्त अहंताएं एवं अनुभव रखते हैं; उनपर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

भायु: ग्रावेदन पत्नों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 50 वर्ष से ज्यादा ग्रायुन हो।

टिप्पणी: सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर ग्रवसर पर पद के लिए उप-युक्त विशेष ग्रहंताएं निश्चित कर सकेंगे।

1	2	3	4		_
5. उपनिदेशक	11*(1995) *कार्यभार की मात्रा को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है	समूह ,'क'' राजपत्नित गैर लिपिकीय	3700-125-4950-15 5700	0- लागून	हैं। - L
6	7	8	9	. 10	 • <sup>}</sup>
नागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लाग् नहीं 13	लागू नहीं 14	
ा 1 1 प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/खुले विज्ञापन द्वारा संविदा और नामांकनों का ग्रामंत्रित करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा की ग्रविध एक समय में 3 वर्ष होगी)	12 प्रतिनियुक्ति या संविदा विश्वविद्यालयों/उच्चतर केंद्रीय/राज्य सरकार संस्थाओं और सार्वः उपक्रमों में नमकक रे 3000-5000/30 या समान ग्रेडों में 3 पा रहे नियमित सेव	शिक्षा संस्थात्रों, 2.  तें, स्वायत्त 3.  जित्र निकाय 4.  तेंडों में या 5-6.  000-4500 300 मूल वेतन 7-8.  ता वाले व्यक्ति 9.	परिषद् के ग्रध्यक्ष—ग्रध्यक्ष परिषद के उपाध्यक्ष—सदस्य शिक्षा सचिव—सदस्य** व्यय सचिव—सदस्य** कार्यकारिणी समिति के दो सदस् (†)—सदस्य दो विशेषन्न (††)—सदस्य परिषद् के सदस्य-सचिव—सदस्य नके नामित व्यक्ति जो भारत तर के संयुक्त सचिव पद से कम न	п	

#### । महंताएं--

विज्ञान/गणित/कंष्युटर श्रमुप्रयोग/ वाणिज्य स्रोर सर्थणस्त्र समेत प्रवंध विज्ञान/भेएजी/स्रनुप्रयुक्त कला/ इंजीनियरी स्रोर श्रौद्योगिकी/वास्तृकला स्रोर नगर गोजना से मास्टर डिपीट स्रोर

ांग्रध्यक्ष द्वारा नामित ग्रियांबल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् श्रिथिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में से सदस्य जिन्हें ग्रध्यक्ष नामित करेंगे।

#### 2. अनुभव--

केंद्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/ श्रन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाश्रो, स्वायस्त निकायों श्रीर सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में गिक्षण/प्रनु-संधान, शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण श्रादि में 6 वर्ष का श्रनु-भव।

वे स्यक्ति जिनके पास डॉक्टोरल डिग्री श्रीर/ग्रथवा प्रकाशित श्रनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है, उन्हें ग्रधि-मान दिया जाएगा।

टिप्पणी 1: वे व्यक्ति जो प्राइवेट संक्टर में काम करते हैं और उपयुंक्त ग्रहेताएं श्रीर अनुभव पूरा करते हैं. उन्हें संविदा के ग्राधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी 2: वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन शैक्षिक/ अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्य-रत हैं तथा उपर्युक्त अहंताएं एवं अनुभव रखते हैं: उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेनु विचार किया जाएगा।

ग्रायुः म्रावेदनपत्नों की प्राप्ति की मंतिम तिथि पर 45 वर्ष से ज्यादाम्रायुनहों।

टिप्पणी: सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर अवसर पर पद के लिए उपर्युक्त विजेश अर्हताएं निश्चित कर सकेंगे।

1	2	3	4		5
6. सहायक निदेशक	*20(1995) *कार्यभार की मात्रा को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह 'क' राजपत्रित गैर- लिपिकीय	3000-100-3 5000 €∘	500-125- ₹	नागू नहीं
6	7	8	9	10	
	लागू नहीं	लाग् नहीं लाग्	नहीं	लागु नहीं	

प्रतिनियुक्ति पर स्यांतातरण/खुले विज्ञापन द्वारा संविदा भीर नामांकनों का ग्रामंत्रित करना (प्रतिनियुक्ति/संविदा की ग्रवधि एक समय में 3 वर्ष होगी) प्रतिनियुनित या संविदा पर स्थानांतरण : 1. विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं 2 केंद्रीय/राज्य सरकारों, स्वायन्त 3 संस्थाओं और सार्वजनिक निकाय 4. उपक्रमों में समकक्ष ग्रेडों में या 5-3000-4500 क० ग्रेड में दो वर्ष की या 2200-4000क० के ग्रेड में या 7-समान ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित 9. सेवा वाले व्यक्ति जो निम्नलिखित \*\* ग्रहेताएं ग्रीर ग्रनुभव रखते हैं :--

1 ग्रहंताए--

विज्ञान/गणित/कंष्यूटर अनुप्रयोग/
वाणिज्य और अर्थशास्त्र समेत प्रवंध
विज्ञान/भेषजी/अनुप्रयुक्त कला/
इंजीनियरी और प्रांद्योगिकी/वास्तुकला और नगर योजना में मास्टर
डिग्री, और

2. ग्रनुभव---

केंद्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/ श्रन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, स्वायस्त निकायों और सार्वजिनिक निकाय उपक्रमों में शिक्षण/श्रनु-संधान शैक्षिक योजना/प्रशासन, प्रशिक्षण श्रादि में ५ वर्ष का श्रनुभव।

वे व्यक्ति जिनके पास डॉक्टोरल डिग्री और/ग्रथवा प्रकाशित अनु-संद्यान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्टे लिखने का प्रमाण है, उन्हें ग्रिधमान दिया जाएगा।

टिप्पणी 1: वे व्यक्ति जो प्राइवेट सेत्रटर में काम करते हैं और उपर्युक्त ग्रईताएं और ग्रनृभव चयन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

परिषद् के ग्रध्यक्ष---ग्रध्यक्ष

2 परिषद् के उपाध्यक्ष--सदस्य

शिक्षा सचिव<sup>‡</sup>—-सदस्य

. व्यय सचिव<sup>कक्</sup>रै--सदस्य –

5-6. कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य (°)--सदस्य

7-8. दो विशेषज्ञ (°°)—सदस्य

9. परिषद् के सदस्य-सचिव--सदस्य

\*\*वा इनके नामित व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिवपद से कम नहीं ।

<sup>००</sup>ग्रज्ञक्ष द्वारा नामित

°श्रिखल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् श्रिप्तियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (एच) में के सदस्य जिन्हें श्रध्यक्ष नामित करेंगे।

	•	

13

14

11

पूरा करते हैं, उन्हें संविदा के ग्राधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी 2. वे व्यक्ति जो नियमित सेवा में नहीं हैं लेकिन शैकिक/ अनुसंधान संस्थाओं में अवधि और संविदा के आधार पर कार्य-रत हैं तथा उपर्युक्त अहंताएं एवं अनुभव रखते हैं; उन पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

श्रायु: श्रावेदनपत्नों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 45 वर्ष जे ज्यादा ग्रायुन हो।

टिप्पणी: सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के हर ग्रवसर पर पद के लिए उपयुक्त विशेष ग्रह्ताए निश्चित कर सकेगें।

> [सं. 1/1/बी- 1/प्रशा. (एस)/94] जे.पी. गृप्ता, सदस्य—सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 1995

G.S.R. 468.—In exercise of the powers conferred y sub-sections (1) and (2) of Section 23 read with sub-sections (1) and (2) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Financial Adviser and Group & Technical posts) Recruitment Regulations, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition.—In these rules "Council" means the All India Council for Technical Education.
- 3. Number, classification and scale of pay.—The umber of the said posts, their classification and the scale of pay attached to them shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to tese regulations.

  2528 AICTE|95—2

- 4. Method of recruitment and other matters.— The method of recruitment to the said pos's, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
  - 5. Disqualification.—No person,—
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt ny person from the operation of these regulations.

6. Power to relax.—Where the Council is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Executive Committee, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

107 00 7

7. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen

and other categories of persons in accordar the orders issued by the Council from time to in this regard.

#### SCHEDULE

		DCHEL	PULE		
S. Name of posts No.	Number of posts	Classification		Scale of pay	Whether sek
1	2	3	<del></del>	4	post
Financial Adviser     *Subject to variation d	*1 (1995) ependent on work load.	Group 'A' ( Ministerial.	Jazetted No		5 Not application
Maximum age limit for direct recruits	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the Cen- tral Civil Services (Pen- sion) Rules, 1972	qualifications.	Tocomit I	Whether age and edutional qualifications cribed for direct recruwill apply in the case promotees	pres- any
6	7	8		9 -	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable
by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of vacancies to be filled by varimethods	made	ides from which	Compos	ition of Selection Com	mittee Circumstaaces which Union I lie Service C mission is to consulted in m ing recruitmea
11	12			13	14
Tote: The period of deputation including period if any spent in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall not ordinarily exceed 5 years.	Transfer on deputation Persons belonging to the Services of organised Central Services hold posts on regular pasis years regular service. Rs. 3700—5000 or eq ing service, if any, in tional selection grade 5700 and with experie Financial matters inclution of Annual Budget etc.  Age: not exceeding 55 years date for receipt of	e All India Group 'A' ling analogous s or with 8 in grade of uivalent includ- the non-func- of Rs. 4500)— ence of handling uding prepara- t, Accounts,	Mail be 1. Cha 2. Vice Mer 3. Edu 4. Exp Me 56. Two Corr 7-8. Two 9. Mer cil- **Or his n of A ment clause tion 1: Technic nomin:	on of Selection Comminate Selection Council—Chairman of Council—Chairman of the Council—Chairman of the Council—Chairman of the Council—Chairman of the Council—Chairman of Executive Secretary).—Member Experts!—Member Experts!—Member ominee not below the dditional Secretary, Got of India.  amongst the members of Office of the All India Council—Chairman ominated by the Chairman.	airman  moil—  ember  e  rank  ivern-  vide  of sec-  uncil for  be
1	2				
	2	3		4	5
Adviser-I	*4 (1995) G	roup 'A' Gazett		<del></del>	

	7	8	9	10
Not applicable				
1101-171				
		12	13	14

By transfer on deputation/contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/ contract shall be three years at a time).

Transfer on deputation or contract Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts in analogous grades or with two years service in the grade of Rs. 5100-7300/4500-7300/5100-6300/5100-5700/4500-5700 or equivalent and prossessing the following qualifications and experience:—

1. Qualification-

Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy/Applied Arts/Enineering and Technology/Architecture and Town Planning, and

2. Experience—

10 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/ State Governments, universities/ other institutions of higher educations, autonomous bodies, and Public Sector Undertakings.

Preference will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports.

- Note 1: Persons from Private Sector fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis.
- Note 2: Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions in educational/research Institutions and possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis.
- Age: Not exceeding 55 years as on the last date for receipt of applications.
- Note: The competent authority may on each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for the post.

- . Chairman of the Council—Chair- Not applicable man.
- Vice Chairman of the Council— Member
- 3. Education Secretary\*\*—Member
- Expenditure Secretary\*\*—Member
- 5-6. Two members of Executive Committee(\*)—Member
- 7-8. Two Experts -- Member
- Member Secretary of the Council—Member
- \*\*Or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Government of India.
- (\*) From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman.
- † To be nominated by the Chairman.

				4	5
1 2		3	· · ·		<del></del>
Adviser-II  *Subject to variation depend		oup 'A' Gazetted :	Non-	5100-150-5700-200-6300	Not applicable
-6	7	8		9	10
No applicable	Not applicable	Not applica	able	Not applicable	Not applicab
	12			13	14
11		r contract 1.		hairman of the Council—Chairman	Not applicab
ty transfer on deputation/ contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/contract shal be three years at a time).	Transfer on deputation of Persons in regular service versities/Institutions of tion, Central/State Gov Autonomous Bodies, a Sector Undertakings he in analogous grades or of Rs. 5100-5700/4500-7300 or with six years: grade of Rs. 3700-5700 or equivalent and possible following qualifications ence:  1. Qualification— Master's Degree in any of Science/Mathematic application/Manageme Commerce and Economacy/Applied Arts/Entechnology/Architectur Planning and 2. Experience— 10 years' experience search, educational printstration, training et State Governments, other institutions of tions, autonomous Public Sector Underta Preference will be given with doctoral degree lished research work of writing the technic Note 1: Persons from fulfilling the above and experience will all ed for appointment or basis.  Note 2: Fersons not in but holding tenurial apositions in educations in educat	higher educa- vernments, 3. nd Public 4. olding posts 5. in the grades 5700/4500- service in the 7- 6/3700-5000 9. sessing the sand experi- of the subjects scs/Computer (ent including mics/Phar- gineering and are and Town  in teaching/re- lanning/Admi- c. in Central/ universities/ higher educa- bodies and skings. to the persons and/or pub- with evidence al reports.  Private Sector qualifications iso be consider- in contractual	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	ice Chairman of the Council— fember ducation Secretary**—Member xpenditure Secretary**—Member two Members of Executive Com- nittec(*)—Member wo Experts†—Member lember Secretary of the Coun- il—Member his nominee not below the rank Additional Secretary, Govern- nt of India.  om amongst the members vide clause n) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Techni- cal Education Act to be nominated by the Chairman. To be nominated by the Chairman.	

Age: not exceeding 55 years as on the last date for receipt of applications.

Note: The competent authority may on each occasion of Advertisement, decide the particular qualifications

needed for the post.

				and the second s
	2	, 3	4	5
4. Director  *Subject to	•8(1995) variation dependent on work load.	Group 'A Gazetted Non- Ministerial.	4500-150-5700	Not applicable
6	7	8	9	10
Not applicable	_ Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
·	11 -	12	13	14

3.

By transfer on deputation/contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation/ contract shall be three years at a time.)

Transfer on deputation or contract: Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts in analogous grades or with four years service in the grade of Rs. 3700-5700/3700-5900 or equivalent 9. and possessing the following qualifications and experience :-

11/1/19

1. Qualification-

Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy Applied Arts/Engineering and Technology/Architecture and Town Planning, and

- 2. Experience-
- 8 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/State Governments, universities/other institutions of higher educations, autonomous bodies, and Public Sector Undertakings.

Preference will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports.

Note 1: Persons from Private Sector fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis.

Note 2: Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions in educational/research Institutions and possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis.

Age: not exceeding 50 years as on the last date for receipt of applications.

Note: The competent authority may on each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for the post.

- Chairman of the Council-Chairman Not applicable
- Vice Chairman of the Council-Member
- Education Secretary\*\*—Member
- Expenditure Secretary\*\*-Member 4.
- 5-6. Two members of Executive Commitce (\*)-Members
- 7-S. Two experts +- Member
- Member Secretary of the Council-Member
- \*\* Or his nominee not below the rank of Additional Secretary, Government of India.
- (\*) From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman.
  - † To be nominated by the Chairman.

			4	
	2	,	Rs. 3700-125-4950-150-5700	Not applicable
Deputy Director	*11 (1995) to variation dependent of	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial on workload.	RS. 3700 7.2	
*Subject	to variation depart			
*Subject	to variation depo-		. 9	10
*Subject	7	8	9 Not applicable	
	7 Not applicable			10 Not applicable

By transfer on deputation! contract through open advertisement and inviting nominations (Tenure of deputation) contract shall be three-years at a time).

11

Transfer on deputation or contract: Persons in regular service from Universities/Institutions of higher education, Central/State Governments, Autonomous Bodies, and Public Sector Undertakings holding posts is analogous grades on regular basis or drawing basic pay of Rs. 3300/- in the grade of Rs. 3000-5000/3000-4500 or equivalent and possessing the following qualifications and experience:

### 1. Qualification:

Master's Degree in any of the subjects of Science/Mathematics/Computer application/Management including Commerce and Economics/Pharmacy/ Applied Arts/Engineering and Technology/Architecture and Town Planning, and

## 2. Experience:

the post.

6 years' experience in teaching/research, educational planning/Administration, training etc. in Central/State Governments, universities/other institutions of higher educations, autonomous bodies, and Public Sector Undertakings. Preserence will be given to the persons with doctoral degree and/or published research work with evidence of writing the technical reports. Note 1: Persons from Private Sector

fulfilling the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Note 2: Persons not in regular service but holding tenurial and contractual positions is education/research Institutions possessing the above qualifications and experience will also be considered for appointment on contractual basis. Age: Not exceeding 45 years as on the last date for receipt of applications. Note: The competent authority say on each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for

Not applicable 1. Chairman of the Council—Chairman

- 2. Vice Chairman of the Council-Member
- 3. Nominee of Education Society\*\*—Member
- 4. Nominee of Expenditure Secretary \*\* Member
- 5-6. Two members of Executive Committee\*—Member
- 7-8. Two Experts +-- Member
- 9. Member Secretary of the Council-Member
- \*\*Or his nominee not below the rank of Joint Secretary Government of India. To be nominated by the Chairman,
  - \* From amongst the members vide clause (h) of Sub-section (2) of section 12 of the All India Council for Technical Education Act to be nominated by the Chairman.

**.		10 %		
1	2	. 3	4	5
o. Assistant Director *Subject to v	*20(1995) Gr ariation dependent o	oup 'A' Gazetled Non-Min n work load.	isterial 3000-100-3500-12	25-5000 Not applicable
	H	•		
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	,			
11		12	13	
By transfer on deputation, contract through open adverment and inviting nomin (Tenure of deputation/conshall be three years at a tire	Persons in reg Persons in reg Perti- Lations education, Cer Pertiact Autonomous I Persons in Cer Persons in reg Persons in Cer Persons in reg	Bodics, and Public Sector a colding posts in 5- es of with two years 7- in the grade of Rs.  If with seven years service of Rs. 2200—4000 or 1 I possessing the following and experience: (in a colding of the subjects thematics/Computer anagement including 1 Economics/Pharmacy/Engineering and Teclinoure and Town Planning,	1. Chairman of the Council. Vice Chairman of the Co. Vice Chairman of the Co. Nomince of Education Sel. Nomince of Expenditure Sel. Nomince of Expenditure Sel. Two Experts Members Demonstrated North Secretary of the Council Secretary, Government To be adminated by the Council of Sub-section (2) of section of Sub-section (2) of section of Secretary of the Council for Technic Act to be nominated by the Council for Technic Act to be not the Council for Techni	cuncil—Member cretary**— Member Secretary**— Member se Committee(*)— Member of the rank of of India. airman. ers vide clause ion12 of the cal Education
	the technical re Note 1: Perso fulfilling the al	ons from Private Sector bove qualifications and		
	appointment of Note 2: Person holding tenuring tions in educate and possessing experience will appointment of Age: Not excelled the date for response to the context of the context appointment of Age: The context of t	lalso be considered for n contractual basis.  Institutions in regular service by aland contractual positional/research Institutions in the above qualifications are also be considered for on contractual basis.  Reeding 45 years as on the election of applications.  In advertisement decides		

post.

each occasion of advertisement, decide the particular qualifications needed for the